न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला–भिण्ड (समक्ष: पी०सी०आर्य)

[©] सिविल<u> अपील कमांकः 20 **/ 2013**</u> 💇संस्थापन दिनांक २७ / ०९ / २०१३ फाइलिंग नंबर-230303005582013

- भोलाराम आयु 65 साल (फोत) 1. वारिसान-
 - अर्जुनसिंह आयु 37 साल
 - नेपालसिंह आयु 33 साल पुत्रगण भोलाराम जाति यादव निवासी वार्ड
 - नंबर-12 गोहद जिला भिण्ड बृजमोहन आयु 52 साल
- कैलाश आयु 55 साल 3.

2.

- नारायण सिंह आयु 48 साल 4.
- मुकेश आयु ४३ साल 5. जाति यादव निवासीगण कस्बा गोहद वार्ड नंबर—12 परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अपीलार्थीगण / वादीगण

वि रू द्ध

नगर पालिका परिषद गोहद द्वारा-

- अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गोहद गुड्डी बाई 1.
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोहद 2.

.....असल प्रत्यथी / प्रतिवादीगण

मध्यप्रदेश शासन जरिए कलेक्टर जिला भिण्ड म०प्र०, 3.

.....औपचारिक प्रत्यर्थी / प्रतिवादी

न्यायालय—क्0 शैलजा गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—दो, गोहद द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक-102ए / 10 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 30 / 08 / 2013 से उत्पन्न सिविल अपील।

अपीलार्थीगण / वादीगण द्वारा श्री एस०एस० श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक ०१ पूर्व से एकपक्षीय। प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक २ द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक ०३ द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर ए०जी०पी०।

_::- निर्णय -::-(आज दिनांक 10 मार्च 2017 को खुले न्यायालय में पारित)

1. अपीलार्थी / वादीगण द्वारा यह अपील कुमारी शैलजा गुप्ता प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहारवाद कमांक—102/2010 ए०ई०दी० में दि.—30/08/2013 को घोषित निर्णय से व्यथित होकर पेश की गयी है। जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण का मूल वाद खारिज किया है।

- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है, कि कस्बा गोहद स्थित सर्वे क्रमांक 1581 रकवा 0.240 हेक्टे0 एवं 1588 रकवा 0.084 हैक्टे0 के वादीगण/अपीलार्थीगण इंद्राजित भूमिस्वामी है तथा दोनों सर्वे क्रमांक का एक ही खेत है, तथा यह भी स्वीकृत है, वादीगण/अपीलार्थीगण की भूमि की पश्चिम दिशा में शासकीय परम्परागत व प्रचलित रास्ता है, यह भी स्वीकृत है, कि वादीगण/अपीलार्थीगण के खेत की उत्तर दिशा में नदी लगी है और नदी में वादीगण/अपीलार्थीगण की भूमि कटाव में गई है, यह भी स्वीकृत है, कि पश्चिम दिशा की ओर शासकीय सर्वे क्रमांक 1579 एवं 1589 की भूमि लगी है।
- 3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण वाद संक्षेप में प्रकार का रहा है कि विवादित भूमि वादीगण के एक मात्र स्वत्व एवं आधिपत्य की है, जिस पर वादीगण का हरकिस्मी कब्जा व बरताव है, जिससे नगरपालिका परिषद गोहद प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 का कोई स्वत्व एवं संबंध न तो है और ही पूर्व में रहा है, तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 को विवादित भूमि पर सडक अथवा मटेरियल डालने व अन्य कोई निर्माण करने का कोई अधिकार भी नहीं है, नगर पालिका गोहद प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 ने वादीगण की अनुमति के बिना विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1581 के संपूर्ण रकवे तथा 1588 के 04 विस्बा रकबा जो कि मौके पर भूमि सर्वे कमांक 1581 में शामिल है, में नवम्बर वर्ष 2009 में मिट्टी मुरम जबरदस्ती अवैध रूप से ठेकेदार के माध्यम से डलवा दी, जिसके संबंध में वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 को कई बार मटेरियल हटाने के लिए कहा परंतु वे टालमटोल करते रहे तथा मटेरियल शीघ्र हटवाने के संबंध में आश्वासन देते रहे किन्तु मटेरियल नहीं हटाया, जिसके संबंध में वादीगण ने एक आवेदन पत्र एस0डी0ओ0 गोहद ने वादीगण की भूमि पर कोई निर्माण न करने तथा पास में पड़ी भूमि शासकयी रास्ता 1589 में रोड बनाए जाने हेत् आदेश दिया था। उक्त आदेश नगर पालिका को आवक क्रमांक 297 दिनांक 11/08/10 को प्राप्त हो गया था परंतु प्रतिवादीगण ने उसके बावजूद विवादित भूमि से मटेरियल नहीं हटाया मटेरियल न हटाने से लोगों ने विवादित भूमि से बतौर रास्ते निकलना शुरू कर दिया है, जिससे वादीगण विवादित भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे है, तथा उन्हें पांच हजार रूपए का सालाना नुकसान हो रहा है। विवादित भूमि पर से पूर्व में कभी कोई रास्ता नही रहा है, बल्कि विवादित भूमि के पास में लगे शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1579 तथा 1589 में से रास्ता रहा है, जो शासन द्वारा रास्ते के लिए सुरक्षित रखा गया है। वादीगण द्वारा पुनः दिनांक 15/09/10 को एस0डी0ओ0 गोहद के समक्ष आवेदन पेश किया गया था, जिस पर एस0डी0ओ0 ने उचित कार्यवाही हेतु नगर पालिका आदेश दिया था, परंतु नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि वादीगण ने भूमि की पैमाइश अन्य भूमि के साथ प्रकरण क्रमांक 38/09-10x ए-12 से दिनांक 16/07/10 को कराई है, जिसमें मटेरियल एवं रोड वादीगण की भूमि में डालना पाया गया है। नगर पालिक परिषद गोहद भविष्य में विवादित भूमि पर पक्की रोड बनाना चाहता है, तथा एस०डी०ओ० गोहद के आदेशों

के बावजूद विवादित भूमि से मटेरियल नहीं हटाया गया है। दिनांक 14/12/10 को वादी भोलाराम को विवादित भूमि से मटेरियल न हटाने तथा भविष्य में पक्की रोड बनाने की धौंस दी है, तथा वादीगण के स्वत्वों से इन्कार किया है, तब वादीगण ने जिरए अभिभाषक नगर पालिका परिषद को मटेरियल हटाने बाबत नोटिस दिया था, जो दिनांक 16/12/10 को नगर पालिका परिषद को प्राप्त हो गया है, किन्तु उसके बाद भी मटेरियल हटाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे विवादित भूमि पर वादीगण के स्वत्वों को हानि होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा हेतु तथा दाबा दायरी दिनांक से मटेरियल हटाने की दिनांक तक फसल की हानि के एवज में अंतवर्ती लाभ पांच हजार रूपए वार्षिक की दर से दिलाए जाने संबंधी सहायताएं चाही गईं थीं। जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था, जिससे व्यथित होकर वादीगण ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद कमांक 102ए/10 ई0दी0 में पारित निर्णय दिनांक 30/08/13 को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी है।

🗬 प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से दावे का जबाव प्रस्तुत किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है, कि जो जगह वादग्रस्त बताई गई है, वास्तव में मौके पर उसका रूढीगत रास्ते के रूप में सदेव से निस्तार होता रहा है और नगर पालिका परिषद के स्वत्व और आधिपत्य की भूमि हैं, तथा नगर पालिका परिषद के सीमा क्षेत्र में आती है। जिस पर नगर पालिका परिषद द्वारा रास्ते का जनहित और लोकहित में मेंटेनेंस किया जाना आवश्यक है। रास्ता वाली भूमि का समतलीकरण हो चुका है, जिससे वादीगण की नियत खराब हो गई है, तथा वादीगण द्वारा मौके के रास्ते को बंद करने तथा रास्ते की भूमि हडपने के उद्देश्य से गलत दावा पेश किया गया है, तथा वर्ष 2009 में भी मिट्टी मुरम डालने वाली बात गलत लिखाई गई है, मौके पर पूर्व से रास्ता बना हुआ है, नगर पालिका परिषद द्वारा पूर्व से प्रचलित रास्ते की ही मरम्मत की गई है, नवीन स्थान पर रास्ता नहीं बनाया गया है, तथा रूढीगत रास्ते पर भी मटेरियल डाला है, जिसे मेनटेन करने का नगर पालिका को अधिकार प्राप्त है और उसका कर्तव्य भी है। वादीगण द्वारा नगर पालिका को बिना सूचना दिए उसके पीठ पीछे यदि अनुचित रूप से कोई पैमाइश करवाई हो तो वह नगर पालिका परिषद पर बंधनकारी नहीं है। मौके पर किसी स्थाई सीमा चिन्ह से पैमाइश नहीं हुई है, यदि वादीगण द्वारा नगर पालिका परिषद को सुनवाई का अवसर दिए बिना राजस्व अधिकारी से मौके के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त कर लिया हो तो वह अवैध व अनियमित होकर नगर पालिका परिषद के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। वादीगण द्वारा कराए गए सीमांकन से भी वादीगण के दावे को समर्थन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सीमांकन रिपोर्ट में वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर मटेरियल डालने की पृष्टि नहीं होती है। निस्तार वाले रास्ते पर वादीगण द्वारा कभी कोई फसल नहीं बोई गई तो नुकसान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। नगर पालिका द्वारा पूर्व से प्रचलित रास्ते पर मटेरियल डाला गया है, वादीगण ने धौंस देने वाली बात दिनांक सहित मात्र प्रकरण में कानुनी रंग देने के लिए लेख की है। वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं है। साथ ही अतिरिक्त आपत्ति में प्रकट किया है, कि वादग्रस्त भूमि में 30—40 वर्ष पुराना प्रचलित रास्ता है, जो नगर पालिका परिषद द्वारा काफी समय पूर्व से ही मरम्मत आदि कराई जाकर निर्मित हो चुका है, तथा रास्ते की भूमि का समतलीकरण भी हो चुका है। अतः वादीगण द्वारा कब्जा वापिसी की सहायता के बिना वाद प्रचलन योग्य नहीं है.

वादीगण द्वारा वादपत्र का मूल्यांकन भी विधि अनुसार न किया जाकर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा न किए जाने से भी वाद प्रचलन योग्य नहीं है अतः दावा निरस्त किए जाने का निवेदिन किया था।

- 5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना की और विचारण करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत गुणदोषो पर आलोच्य निर्णय दिनांकित 30/08/13 घोषित कर वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील पेश की गई।
- वादीगण / अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील ज्ञापन 6. मुताबिक यह आधार लिया है, कि सर्वे क्रमांक 1581 और 1588 के वे इंद्राजित भृमिस्वामी है और उनका संयुक्त स्वत्व, आधिपत्य है और कृषि होती है। उक्त भूमि से प्रत्यर्थी / प्रतिवादी नगर पालिका परिषद गोहद का कोई संबंध सरोकार नहीं है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालयं ने भी वादीगण / अपीलार्थीगण को भूमिस्वामी, आधिपत्यधारी माना है, किंत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण के उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि पर प्रत्यर्थी / प्रतिवादी नगर पालिका परिषद के विरूद्ध उनके आधिपत्य एवं निस्तार में बाधा उत्पन्न करते हुए नवीन सडक निर्माण का मटेरियल डालकर निर्माण कर लेने के विरुद्ध चाही गई स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान न करने में गांभीर विधिक त्रृटि की है और अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का विधि सम्मत तरीके से मूल्यांकन करते हुए नहीं निकाला है, जबकि वादीगण / अपीलार्थीगण के आधारों का समर्थन प्रस्तुत किए गए साक्षी धांधू व अशोक ने भी किया था तथा कराए गए सीमांकन के साक्षी राजस्व निरीक्षक रामसिंह के द्वारा समर्थन किया गया है, किंतू उनके अभिसाक्ष्य का विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला और उत्तर दिशा में खेत में जो कटाव नदी के कारण होता है. वह नदी सूखने पर मिट्टी जम जाने से पूर्ति हो जाती है, तथा प्रत्यर्थी / प्रतिवादी को बिना भूमि अधिग्रहित किए सडक निर्माण करने का कोई अधिकारी नहीं है और शासकीय भूमि पर रास्ता न बनाते हुए उनकी भूमि पर से नगर पालिका द्वारा रास्ते का निर्माण करा दिया है, जिससे उसकी उपजाऊ भूमि का अवमूल्यन हो गया है और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है, जिससे उन्हें पांच हजार रूपए वार्षिक की फसल हानि भी हो रही है, इन बिन्दुओं को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निष्कर्षित नहीं किया है और विधि विरूद्ध तरींके से निष्कर्ष निकालते हुए मूल वाद जो डिकी योग्य था, उसे निरस्त करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है, जबिक वर्ष 2009 में सडक निर्माण हेत् मटेरियल डालने पर एस०डी०ओ० गोहद को आवेदन किया गया था, जिस पर से एस0डी0ओ0 गोहद द्वारा दिनांक 10 / 08 / 10 को उनकी भूमि पर निर्माण न करने का आदेश नगर पालिका को दिया था, तथा पुनः कार्य करने पर एस0डी0ओ0 का लिखित आवेदन दिया था, जिस पर से प्रकरण क्रमांक 38/2009 $-10\,\mathrm{x}$ ए-12 में दिनांक 16 / 07 / 10 को भी आदेश किया गया था, उसके बावजूद मटेरियल नहीं हटाया गया, इस पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आलोच्य निर्णय दूषित होने से अपास्त किया जाए और मूल वाद डिकी किया जावे क्योंकि उनकी साक्ष्य का कोई खण्डन प्रत्यर्थी / प्रतिवादी की ओर से नहीं हुआ है ।

- 7. अपील के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि -
 - 1 "क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 102/10 ए 0ई0दी0 में घोषित निणर्य व डिकी दिनांकित 30/08/13 विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?"
 - 2. ''क्या अपीलार्थीगण / वादीगण का मूल वाद डिकी किये जाने योग्य है ?''

निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02 का निराकरण

- 8. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
- <equation-block> वादीगण / अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने विस्तृत अंतिम मौखिक तर्कों में मूलतः इस बिन्द् पर बल दिया है, कि सर्वे क्रमांक 1581 रकवा 0.240 हैक्टे0 एवं 1588 रकवा 0.084 हैक्टे0 में से 0.042 हेक्टे0 पश्चिम दिशा की ओर की भूमि विवादित है जो कि वादीगण/अपीलार्थीगण के स्वामित्व और आधिपत्य की है, उनका राजस्व अभिलेख में भी इंद्राज है और वे उस पर भूमिस्वामी की हैसियत से आधिपत्यधारी होकर उपभोग उपयोग करते है, तथा कृषि कार्य करते है, उक्त भूमि से प्रत्यर्थी / प्रतिवादी नगर पालिका परिषद गोहद का कोई संबंध नहीं है, किंत् प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी अधिकार के और बिना भूमि अधिग्रहण के वर्ष 2009 में ठेकेदार के माध्यम से उनकी भूमि पर मिट्टी मुरम बलपूर्वक डाल दी, एस0डी0ओ0 को आवेदन करने पर एस0डी0ओ0 द्वारा भी रोकने का आदेश दिया गया था, किंतु उसके बावजूद भी वे नहीं माने और पुनः आवेदन देने पर एस0डी0ओ0 का आदेश न मानने से वादकारण उत्पन्न होने पर स्थाई व आज्ञापक निषेधाज्ञा हेत् मूल वाद पेश किया गया था, जिसमें मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से पेश की गई उसका कोई खण्डन नहीं हुआ है और वादीगण / अपीलार्थीगण अपने स्वामित्व की भूमि पर ही निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति चाहते थे, किंत् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं साक्ष्य के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालते हुए उनका वाद निरस्त कर गंभीर विधिक भूल की है, जबकि वादीगण / अपीलार्थीगण ने सीमांकन भी कराया था नक्शा अक्श भी पेश किया है, जिससे उनके आधार प्रमाणित है, प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण द्वारा बलपूर्वक बनाई गई सडक के कारण उनकी भूमि अनुपयोगी हो गई है और खेती में बाधा हो रही है, इसलिए निर्मित की गई सडक को हटवाया जाकर उनकी भूमि समतल कराई जाए और दावा प्रस्तुति वर्ष से सडक हटाए जाने तक पांच हजार रूपए वार्षिक अंर्तवर्ती लाभ फसल की हो रही हानि के एवज में दिलाया जाए।
- 10. प्रत्यर्थी / प्रतिवादी नगर पालिका परिषद गोहद के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में वादी / अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क किया है, कि नगर पालिका द्वारा वादीगण / प्रत्यर्थीगण की किसी भूमि पर सडक का कोई नवनिर्माण नहीं किया है, बिल्क तीस चालीस वर्ष पूर्व से प्रचलित रास्ते की

ही मरम्मत कराते हुए उस पर मुरम आदि डालकर समतलीकरण किया गया था, जिस पर से आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है और वादीगण/अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की कोई असुविधा और हानि नहीं हुई है, राजस्व निरीक्षक से वादीगण/अपीलार्थीगण ने जो सीमांकन कराया था, वह भी उनकी अनुपस्थिति में कराया गया है, जिस नक्शे के आधार पर सीमांकन कराया गया था, वह नक्शा ही उपलब्ध नहीं है और राजस्व निरीक्षक ने भी उसे स्वीकार किया है, तथा कोई अतिक्रमण नहीं बताया है, वास्तविकता में वादीगण/अपीलार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज है और उसके खेत की भूमि नदी के कटाव में गई है, जो रास्ता आवागमन के लिए चालू है, वह शमसान भूमि के लिए जाने के लिए एक मात्र रास्ता है और वादी साक्षियों ने भी पूर्व के सास्ते पर ही मुरम आदि डालने की बात स्वीकार की है तथा परंपरागत रास्ता रियासतकाल से चला आ रहा है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष नकाला गया है और वादीगण/अपीलार्थीगण का मूल वाद खारिज किया है उसमें कोई भी विधि संबंधी भूल या तथ्य संबंधी त्रुटि नहीं है, साक्ष्य का उचित रूप से विवेचन करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाले है, इसलिए प्रस्तुत की गई प्रथम सिवेल अपील में कोई विधिक बल नहीं है, और उसे सव्यय निरस्त किया जाए।

- 11. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख, आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया गया, प्रकरण में उभयपक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की गई है, वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-14 के दस्तावेज पेश करते हुए मौखिक साक्ष्य में मूल वादी भोलाराम वा0सा0-01 के अलावा धांधू वा0सा0-02 और अशोक यादव वा0सा0-03 एवं राजस्व निरीक्षक रामसिंह वा0सा0-04 की साक्ष्य कराई गई है, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से सी0एम0ओ0 सुरेन्द्र शर्मा प्र0सा0-01 का मौखिक अभिसाक्ष्य कराया है, उसके अभिसाक्ष्य में कथन स्थागित किए जाने का नोट अंकित है, किंतु अपूर्ण कथन के आधार पर वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा कोई मांग प्रकरण के पुनः विचारण हेतु नहीं की गई है, इसलिए उसके कथन को पूर्ण मानते हुए अपील का निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से दिनांक 27/08/13 को प्रतिवादी साक्ष्य समाप्त की गई थी, उस पर वादीगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की अंतिम तर्कों में भी कोई आपत्ति नहीं आई है।
- 12. वादीगण/अपीलार्थीगण का मूल वाद विशुद्ध रूप से स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा सहित फसल की हानि के एवज में अंतवर्ती लाभ पांच हजार रूपए वार्षिक की दर से दिलाए जाने संबंधी सहायताएं चाही गईं थीं जिन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में विधि सम्मत न होना निष्कर्षित करते हुए मूल वाद को निरस्त किया है, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील प्रस्तुत की गई है।
- 13. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस संबंध में न्याय दृष्टांत ग्याराम विरुद्ध सीताबाई 1994 भाग—01 एम0पी0जे0आर0 पेज—148 में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है, विचाराधीन मामले में भी इस न्यायालय की हैसियत प्रथम अपीलीय न्यायालय की है, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मृत्यांकन

करना होता है। इसलिए विचाराधीन प्रथम सिविल अपील में उक्त सिद्धांत का पालन करना होगा और संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

- अभिलेख पर इस बिन्दू पर कोई विवाद की स्थिति नहीं है, कि सर्वे 14. नंबर 1581 और 1588 की भूमि के बादीगण / अपीलार्थीगण इंद्राजित भूमिस्वामी है, प्र0पी0–08 लगायत प्र0पी0–14 के जो राजस्व कागजात वादी/अपीलार्थी भोलाराम की साक्ष्य के माध्यम से पेश किए गए है, उससे भी इस बात की पृष्टि तो होती है, कि उक्त दोनों सर्वे क्रमांक की भूमि को भोलाराम, कैलाश, बुजमोहन, नारायणसिंह, और मुकेश भूमिस्वामी, आधिपत्यधारी इंद्राजित है, प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण का भी स्वत्व को लेकर विवाद नहीं है, मूल विवाद इस बिन्दू को लेकर है, कि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी नगर पालिका परिषद गोहद द्वारा जो सडक निर्माण किया गया है, क्या वह वादीगण / अपीलार्थीगण के स्वामित्व की भूमि पर किया गया है, अथवा शासकीय भूमि पर किया गया है और पूर्व से प्रचलित मार्ग पर किया है, अथवा नहीं यह बिन्दू उभयपक्ष की साक्ष्य के आधार पर ही निष्कर्षित किया जा सकता है, विद्वान अधीनस्थ न्यायलय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-08 लगायत 13 तक में साक्ष्य की विवेचना करते हुए जो निष्कर्ष निकाले है, उसमें मूलतः यह माना है, कि वादीगण / अपीलार्थीगण की भूमि पर सडक का कोई निर्माण नहीं किया है, पूर्व से प्रचलित मार्ग पर ही मुरम, मिटटी, मटेरियल डालकर समतलीकरण किया गया है, प्रत्यर्थी / प्रतिवादी का मूल खण्डन भी इसी बिन्दू को लेकर है, कि उन्होंने अवैध रूप से कोई मटेरियल वादी की भूमि पर नहीं डाला है, न सडक निर्माण किया है, बल्कि रियासतकाल से प्रचलित मार्ग को ही व्यवस्थित किया गया है, इसलिए वादीगण / अपीलार्थीगण का कोई आधार प्रथम दृष्टया ही स्थापित नहीं होता है, प्र0पी0—01 लगायत 07 के जो दस्तावेज वादीगण/अपीलार्थीगण की और से पेश किए गए है, वे दावा पूर्व दिए गए विधिक नोटिस उनकी रशीदों के रूप में है और दावा ग्रहण किया जाकर सुनवाई में लेकर गुणदोषों पर निराकृत किया है, इसलिए प्र0पी0-01 लगायत 07 के दस्तावेजों के अतिरिक्त मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं रह जाती है।
- 15. मौखिक साक्ष्य को देखा जाए तो वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से वा०सा०—01 लगायत वा०सा०—03 के रूप में जो साक्ष्य पेश की गई है, उनमें मूल वादी रहे भोलाराम जो अपील स्तर पर फोत हो जाने से उसके वारिसान को अपीलार्थीगण के रूप में सम्मिलित किया गया है, वा०सा०—01 ने शपथपत्री मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में वादपत्र के अभिवचनों को ही दोहराया था और उसी अनुरूप धांधू वा०सा०—02 और अशोक वा०सा०—03 ने भी उसका समर्थन करते हुए मुख्य परीक्षण के शपथपत्री साक्ष्य प्रस्तुत की थी, शपथपत्री मुख्य परीक्षण का प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से तत्कालीन सी०एम०ओ० सुरेन्द्र शर्मा प्र०सा०—01 की ओर से वदोत्तर अनुरूप खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत की गई, किंतु किसी भी साक्षी का अभिसाक्ष्य मुख्यपरीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण को मिलाकर साक्ष्य के रूप में लेते है, इसलिए मुख्य परीक्षण के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, बल्कि संपूर्ण साक्ष्य पर से ही निष्कर्ष निकालना होगा।
- 16. इस दृष्टि से अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को देखा जाए तो भोलाराम

वा०सा०—01 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रत्यर्थी / प्रतिवादी नगर पालिका परिषद द्वारा ठेकेदार के माध्यम से उसकी भूमि पर मिट्टी मुरम अनाधिकृत रूप से डालने पर तत्कालीन एस०डी०ओ० द्वारा मटेरियल हटाने व विवादित भूमि पर रोड न डालने का आदेश दिया जाना बताया था, जो आदेश नगर पालिका को अगले दिन दिनांक 11/08/10 को प्रस्तुत किया गया था, उसने यह भी बताया है, कि दिनांक 16/09/10 को भी एस०डी०ओ० गोहद को आवेदन दिया था, उस पर से नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई किंतु वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा एस०डी०ओ० गोहद को दिए गए आवेदन और उस पर हुए आदेशों की कोई प्रतिलिपि साक्ष्य में पेश नहीं की गई है, इसलिए इसके संबंध में वादी की साक्ष्य विश्वसनीय और सुदृढ नहीं पाई जाती है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का भी इस संबंध में दिया निष्कर्ष साक्ष्य के अनुरूप है, जैसा कि आलोच्य निर्णय की किण्डका 09 में उल्लेखित है।

- 17. भोलाराम वा०सा०-01 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में कण्डिका ०९ में यह भी स्वीकार किया है, कि वह अपने रकवे पर काबिज है और उसकी एक बीघा सात बिस्वा का जो रकवा कम हुआ है, उसके बारे में यह स्वीकारोक्ति भी की है, कि वह नदी में कट गया है, यहां तक स्वीकार किया है, कि उत्तर दिशा की ओर आधा एक बीघा कटाव में गया है, लेकिन उसने इसकी कोई माप नहीं कराई है, कि कितनी जमीन कटाव में गई है और दोनों ही सर्वे नंबर नदी के कटाव में होना भी उसने स्वीकार किया है, कण्डिका 10 में यह भी स्वीकार किया है, कि कटाव के कारण 10–15 फिट खेत चला गया है, और खाई बन गई है, उसने रास्ता सर्वे नंबर 1581 के बगल में अर्थात पश्चिम दिशा में बताया है, जो शमशानघाट के लिए जाता है, कण्डिका 11 में यह भी स्वीकार किया है, कि जो रास्ता है, वह स्टेट के जमाने से बेलगाडी का रास्ता चला आ रहा है, रास्ते की चौडाई उसने करीब 20 फिट बताई है, रास्ते में खेत कितने फिट चला गया है, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है, न उसने माप कराई है, जैसा कि कण्डिका 12 में भी आया है, इस प्रकार से यदि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी की मौखिक खण्डन साक्ष्य को मूल्यांकन में न भी लिया जाए तब भी स्वयं वादी भोलाराम के अभिसाक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट हो जात है, कि वादीगण / अपीलार्थीगण की भूमि नदी के कटाव में गई है, लेकिन कितनी गई है, इसकी उसने पेमाइश नहीं कराई है, ऐसे में यह उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है, कि स्टेट के समय से जो रास्ता परम्परागत रूप से प्रचलित था उससे हटकर नगर पालिका परिषद गोहद द्वारा सडका निर्माण किया गया होगा, तथा जिस प्रकार की साक्ष्य आई है, उससे इस संभावना से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है, कि वादीगण / अपीलार्थीगण का जो रकवा कम होना बताया जा रहा है, वह नदी के कटाव के कारण कम हुआ है, न कि सड़क निर्माण के कारण कम हुआ, ऐसी स्थिति में भोलाराम वा0सा0-01 के अभिसाक्ष्य से ही स्थिति स्पष्ट हो रही है।
- 18. धांधू वा०सा०-02 और अशोक यादव वा०सा०-03 के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो उसने भी यह स्वीकार किया है, कि गोहदी गेट से शमशानघाट जाने के लिए विवादित रास्ता ही एक मात्र रास्ता है और जो पुराना रास्ता था उसी रास्ते से थोडा छोडकर डब्लू.बी.एम. सी.सी. करा दी गई है पुराना रास्ते से 10-12 हाथ छोडकर वर्ष 2008 में डब्लू.बी.एम. और सी.सी. रोड बनाने की बात वह कहता है,

जबिक स्वयं वा0सा0—01 मुताबिक सडक निर्माण का मटेरियल वर्ष 2009 में डाला गया जो कि विरोधाभाषी है।

- 19. वा०सा०-02 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है, कि रास्ते में दोनों तरफ अर्थात पूर्व और पिश्चम में गहराई है, नादी में पानी आने पर अगल बगल के रास्ते की मिट्टी पानी से कट जाती है, उसने ठेकेदार को वादी की भूमि पर मटेरियल डालते हुए नहीं देखा भोलाराम ने बताया था और तब मटेरियल डला था, उस समय कोई फसल नहीं थी, और नदी में कटाव था, किण्डका 06 में यह भी स्वीकार किया है, कि नगर पालिका द्वारा जो सडक बनाई गई है, उसी पर सभी लोग आते जाते है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। उसके सामने सडक बनने या मटेरियल डालने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी, वर्ष 1990 से कोई खेती नहीं हुई है, पूर्व का उसे पता नहीं है, इस तरह से वा०सा०-02 के अभिसाक्ष्य में भी ऐसे कोई तथ्य नहीं आए है, जो यह प्रमाणित करते हों कि नगर पालिका परिषद गोहद द्वारा परम्परागत और पुराने प्रचलित मार्ग को छोडकर वादी की भूमि में अतिक्रमण करके कोई निर्माण किया गया हो।
- 20. अशोक वा0सा0—03 के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो वह यह भी स्वीकार करता है, कि विवादित भूमि पर वह सदेव से खेती देखता चला आ रहा है और वर्तमान में भी हो रहा है, उसके मुताबिक भी विवादित रास्ता ही एक मात्र रास्ता है, जिस पर से दो ट्रेक्टर एवं ट्रॉली बराबर से निकल जाते है, उसने यह भी स्वीकार किया है, कि भोलाराम के खेत के पश्चिम में पहले सडक थी अब खेत है और आगे निकलकर नदी में मिल जाती है यदि उक्त बात को ग्रहण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है, कि वादी/अपीलार्थी द्वारा सडक की भूमि को अपने खेत में बढ़ा लिया गया है, उसका यह भी कहना रहा है, कि सडक निर्माण के समय कोई आपत्ति नहीं आई थी और विवादित भूमि उसके बाबा द्वारा भोलाराम को बेची गई थी, इस प्रकार से उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से भी यह स्थापित नहीं होता है, कि वादीगण/अपीलार्थीगण की भूमि में सडक का निर्माण किया गया है।
- 21. अपीलार्थीगण / वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्र0पी0—09 के नक्शा अक्श पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें सर्वे कमांक 1579 और 1589 रास्ते के रूप में होकर सर्वे नंबर 1581 से लगे हुए है, प्र0पी0—08 के खसरे से वह शासकीय भूमि दर्शित होती है, जिस सीमांकन पर वादीगण / अपीलार्थीगण भरोसा करते आए है, उस सीमांकन से संबंधित दस्तावेज प्र0पी0—09 लगायत 12 के प्रतिवेदन पंचनामा और फील्डबुक है, जिसके संबंध में रामिसंह वा0सा0—04 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है, कि उसने जो सीमांकन किया था, उसमें सर्वे नंबर 1579 को भी शामिल किया था, जिसके लिए आदेश नहीं था और उसने सर्वे नंबर 1579 के सीमांकन की कोई फील्डबुक तैयार नहीं की, प्र0पी0—12 में भूल से नजरी नक्शा की लाइन अंकित हो जाने की बात भी वह स्वीकार करता है और कहता है, कि जिस पटबारी नक्शे के आधार पर सीमांकन किया था, वह बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में था और उसमें कोई स्थाई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे, फील्डबुक में जो नक्शा दर्शाया है, उसकी कोई पैमाईश नहीं की है, प्रत्यर्थी / प्रतिवादी की अनुपस्थिति भी वह स्वीकार करता है, जैसा कि प्र0पी0—11 के पंचनामे से भी

दर्शित होता है, तथा उसने यह भी स्वीकार किया है, कि पटवारी ने जो नक्शा दिया था, वह अभिलेख पर मौजूद ही निहीं है, वा0सा0—04 ने इस तरह से वादीगण / अपीलार्थीगण के आधारों का समर्थन नहीं किया है, वह पटवारी अमरसिंह कोरकू की भी मौजूदगी बताता है, और कण्डिका 04 में उसने यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है, कि पूर्व से जो रास्ता प्रचलित था उसी पर से नगर पलिका ने मिट्टी डालकर नाया रास्ता बनाया है, इससे स्थित ओर भी स्पष्ट हो जाती है, कि कोई अतिक्रमण रास्ते के निर्माण में नहीं हुआ है, स्वयं वादी/अपीलार्थी भोलाराम वा0सा0-01 की यह स्वीकारोक्ति कि दोनों सर्वे क्रमांक के रकवे रोड किनारे आते है, कुछ रकवा नदी में चला गया है, ऐसी स्थिति में जिन आधारों पर वादीगण / अपीलार्थीगण द्वारा स्थाई और आज्ञापक व्ययादेश व अंर्तवर्ती लाभ की डिकी चाही थी, वे आधीर कर्ताई प्रमाणित नहीं होते है, बल्कि वादीगण/अपीलार्थीगण की मौखिक साक्ष्य से ही स्वमेव खण्डित है, ऐसी स्थिति में विद्वान न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में वादप्रश्न क्रमांक ०१, ०५ और ०६ को निष्कर्षित करते हुए जो अंतिम निष्कर्ष उनके प्रमाणित न होने संबंधी निकाले है, वे विधि और साक्ष्य के प्रतिकृल नहीं माने जा सकते है और उनके संबंध में अपीलार्थीगण / वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क कतई स्वीकार योग्य नहीं है।

- 22. इस प्रकार से चरणबद्ध साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण के मूल वाद को डिकी योग्य न पाते हुए निरस्त करने में कोई तथ्यात्मक या विधि संबंधी भूल नहीं की है और वादीगण/अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान या स्वत्व की हानि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नगर पालिका परिषद गोहद द्वारा किए गए सडक निर्माण से नहीं हुई है, परिणाम स्वरूप प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में कोई विधिक बल नहीं है, अतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात विचाराधीन प्रथम सिविल अपील सारहीन होना पाते हुए सव्यय निरस्त की जाती है।
- 23. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वादीमण/अपीलार्थीगण अपने प्रकरण व्यय के साथ साथ प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण का प्रकरण व्यय भी वहन करेंगे जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम हो वह जोडी जावे।
- $oldsymbol{24}.$ तद्नुसार डिकी तैयार की जावे ।

दिनांक— 10 मार्च 2017 आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड